[1]प्ररूप सं. 26थ

[2][धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खक, 194खख, 194ग, 194ग, 194घ, 194घक, 194डड, 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194ढ, 194ण, 194त, 194थ, 194द, 194द, 194ध, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें] ;

आयकर अधिनियम, की धारा 200 की उपधारा (३) के अधीन .... (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) ....
(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण]

1. (*क*) कर कटौती और संग्रहण खाता सं. (टैन) [ ]

(*ख*) [3][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] [टिप्पण 1 देखिए] [ ]

(*ग*) वित्तीय वर्ष [ ]

(*घ*) क्या इस तिमाही से पहली कोई विवरणी फाइल की गई है (हां/नहीं) [ ]

(*ङ*) यदि (घ) का उत्तर हां है तो मूल विवरणी की पावती सं. [ ]

(*च*) [3क][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] का प्रकार (टिप्पण 2 देखिए) [ ]

2. [3क][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] की विशिष्टियां :

(*क*) नाम	
(*ख*) यदि केंद्रीय/राज्य सरकार	
नाम (टिप्पण 3 *देखिए*)	
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड	
(*ग*) टैन रजिस्ट्रीकरण सं.	
(*घ*) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	

1. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 द्वारा 19.2.2013 से प्रतिस्थापित। इसके पूर्व प्ररूप 26थ, आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2005 द्वारा 30.3.2005 से अंतःस्थापित किया गया था और बाद में आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2010 द्वारा 1.4.2009 से भूतलक्षी रूप से और आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2009 द्वारा (प्रवृत्त नहीं) द्वारा संशोधित किया गया था।
2. आय–कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.7.2023**.से प्रतिस्थापित।
3. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3क. आय-कर (चौदहवॉं संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 18.11.2019 से ''कटौतीकर्ता'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की विशिष्टियां :

(*क*) नाम	
(*ख*) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	
मोबाइल नं.	

4. काटे गए कर और केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त राशि के ब्यौरे :

	क्रम सं.	*कर*	*ब्याज*	*फीस (टिप्पण 5 देखिए)*	*शास्ति/ अन्य*	*चालान/बही समायोजन के अनुसार कुल जमा रकम (402+403+ 404+405) (टिप्पण 6 देखिए)*	*चालान (ग)/ बही समायोजन (ख) द्वारा जमा करने की पद्धति (टिप्पण 7 देखिए)*	*बीएसआर कोड/प्ररूप सं 24छ की प्राप्ति सं (टिप्पण 8 देखिए)*	*चालान क्रं.सं./ प्ररूप सं. 24छ का डीडीओ क्र.सं. (टिप्पण 8 देखिए)*	*चालान द्वारा जमा की गई रकम की तारीख/वाउचर अंतरण की तारीख (टिप्पण 8 देखिए)*	*चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखिए)*
	[*401*]	[*402*]	[*403*]	[*404*]	[*405*]	[*406*]	[*407*]	[*408*]	[*409*]	[*410*]	[*411*]
	1										
	2										
	3										
	कुल										

4[**5.** *संदत्त रकम और कटौती किए जाने वाले व्यक्ति से कटौती किए गए कर का ब्यौरा और कटौती किए बिना संदत्त रकम (उपाबंध देखें).*]

4. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से प्रतिस्थापित।

सत्यापन

मैं, ... सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : ....   *स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर*...................................

तारीख : ....   *स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम*...................................

टिप्पण :

1. गैर सरकारी [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] के लिए [4क][*स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक*] का उत्कथित किया जाना आवश्यक है। सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में "[4क][*स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक*] आवश्यक नहीं" उल्लिखित होगा।
2. कृपया सरकारी [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] या गैर [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] उपदर्शित करें।
3. केंद्रीय सरकार की दशा में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम उल्लिखित करें/राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य का नाम उल्लिखित करें।
4. अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन नं. और ई-मेल दिया जाए जिससे [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] या कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सके।
5. धारा 234ङ के अधीन विलंब से स्रोत पर कर कटौती का विवरण फाइल करते समय संदत्त फीस को, 'फीस' के पृथक् स्तंभ में उल्लिखित किया जाए।
6. स्तंभ 406 में, सरकारी डीडीओं, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित रकम को उल्लिखित करेंगे। अन्य [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] चालान द्वारा जमा की गई सही रकम को लिखेंगे।
7. स्तंभ 407 में, सरकारी [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] "ख" लिखेंगे जहां स्रोत पर कर की कटौती, बही समायोजन द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा में विप्रेषित की जाती है। अन्य [4][*कटौतीकर्ता/संदायकर्ता*] "ग" लिखेंगे।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विशिष्टियां, अर्थात् 408, 409, 410 वहीं होंगी जो कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।
9. स्तंभ 411 में, चालान पर यथा चिन्हित लघु शीर्ष उल्लिखित करें।

---

4. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से ''कटौतीकर्ता'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4क. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5][उपाबंध:- कटौती/टीडीएस का पानवाले के अनुसार विघटन

(कृपया मुख्य फॉर्म 26थ के क्रम सं. 0 सारणी की प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

तारीख……….. (दिदि /मम/ववvव) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त रकम /जमा की गई रकम और स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम सं. /प्ररूप 24छ डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 421 में आवंटतीय कुल कर	
कटौतीकारों/पाने वालों के बीच आवंटतीय कुल ब्याज	

संदायकर्ता का नाम	
टैन	

5. आय–कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.7.2023** से प्रतिस्थापित।

क्रं स	संदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई कटौतीदार/पाने वाले की संदर्भ सं. ,यदि उपलब्ध हो	कटौतीदार/पाने वाले का कोड **(01-** *कंपनी* **02¬-** *कंपनी से भिन्न)*	कटौतीदार/पाने वाले *का पैन*	कटौतीदार/पाने वाले *का नाम*	धारा कोड (टिप्पण देखें 16)	संदाय या जमा करने की तारीख (दि/म/व))	संदत्त जमा की गई रकम	धारा 194ढ में यथानिर्दिष्ट एक करोड रूपए के अधिक्य में निकाली गई रकम (धारा 194ढ. के पहले परंतुक या तीसरे में समाविष्ट नहीं होने की दशा में)	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के पहले परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) द्वारा समाविष्ट मामलों में 20 लाख रू. से अधिक लेकिन 1 करोड़ रू. से अधिक नहीं है (*सहकारी सोसाइटियों के सिवाय*)	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के पहले परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 1 करोड़ रू. से अधिक है (*सहकारी सोसाइटियों के सिवाय*)	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के तीसरे परंतुक द्वारा समाविष्ट सहकारी सोसाइटियों के मामले में 3 करोड़ रू; से अधिक है(धारा 194ढ के पहले परंतुक द्वारा समाविष्ट नहीं होने की दशा में*	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के तीसरे परंतुक के साथ पठित पहले परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 20 लाख रू. से अधिक है लेकिन 3 करोड़ रू. से अधिक नहीं (सहकारी सोसाइटियों की दशा में)*	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के तीसरे परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 3 करोड़ रू. से अधिक है (सहकारी सोसाइटियों की दशा में)*	काटा गया कुल कर	जमा किया गया कुल कर	कटौती की तारीख (दि/मा/वर्)	*वह दर जिस पर कटौती की गई है*	कटौती न करने/निम्न कटौती करने /उच्च कटौती करने /थ्रेसहोल्ड /परिवाहक आदि के कारण(टिप्पण 11 देखें)	धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/न्यूनतम कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की संख्या
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419क]	[419ख]	[419ग]	[419घ]	[419ङ]	[419च]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1																			
2																			
3																			
कुल																			

यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94द-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94ध-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है , तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[426क]	[426ख]	[426ग]	[426घ]	[427क]	[427ख]	[427ग]	[427घ]	[428क]	[428ख]	[428ग]	[428घ]	[429क]	[429ख]	[429ग]	[429घ]

सत्यापन

मैं......................................, सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टिशं सही और पूर्ण है।

स्थान................................ स्त्रोत कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख...................................... स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :-

1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मद्दे “न्यूनतम कटौती की गई है” या "कटौती नहीं की गई है" ।
2. "ख" लिखें, यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न धारा 197 क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है ।
3. "ग" लिखें यदि पैन नं. प्रस्तुत करने के मद्दे धारा 206कक के अधीन उच्चतर दर पर कटौती की गई है।
4. "घ" लिखें, यदि धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
5. "ड." लिखें ,यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18 तारीख 29 मई,2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
6. "म" लिखें ,यदि यदि आय-कर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। ।
7. "न" लिखें ,यदि परिवाहक होने पर कटौतीकर्ता/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है । कटौतीकर्ता/पाने वाले का पैन आवश्यक है (धारा 194 ग(6))
8. "य" लिखें ,यदि धारा 197क(1च) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
9. "ड" लिखें ,यदि धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।*
10. "ढ" लिखें ,यदि धारा 194ढ. के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ढ के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।*

11. "ण" लिखें ,यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है।

12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में निर्दिष्ट कारबार न्यास को दिए गए लाभांश के संदाय के कारण यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।

13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में निर्दिष्ट किसी ईकाई को किए गए संदाय को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'थ' लिखें।

14. धारा 194कख की उपधारा (5) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए यद कोई कटौती नहीं है तो 'ध' लिखें।

15. धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण यदि कटौती उच्च दर पर होती है तो 'न' लिखें

16. यदि धारा कोड की सूची निम्न प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत	194ख
धारा *194*ख के परंतुक	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत जहां कर दायित्व को चुकाने के लिए वस्तु या नकद के रूप में दिया गया प्रतिफल पर्याप्त नहीं है तथा ऐसी जीत से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	*94*ख-त
*194*खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	*94*खक
धारा *194*खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में कर दायित्व चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	*94*खक-त
194खख	घुडदौड़ से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का संदाय	194ग
194घ	बीमा आयोग	194घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	194घक
194ड.ड.	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन जमा रकम के संबंध में□संदाय	194ड.ड.
194च	म्यूचल फंड या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के पुन:विक्रय के कारण संदाय	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि	194छ
194ज	दलाली या ब्रोकरेज पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झ(क)
194झ(ख)	किराया	194झ(ख)
194ज(क)	सिनेमेट्रोग्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन या वितरण तथा विक्रय के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क(वृत्तिक सेवा नहीं) के लिए रॉयल्टी *@2%*	194ज(क)

194ञ(ख)	वृत्तिक सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए शुल्क @10%	194ञ(ख)
194ट	इकाईयों के संबंध में आय	194ट
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	194ठक
194ठखक(क)	कारबार न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को ब्याज रूप में कतिपय आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	कारबार न्यास की इकाईयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में कतिपय आय	194ठखक(ख)
194ठख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	1194ठखग
194ढ	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न	194ढ
*194*ढ प्रथम परंतुक	गैर फाइलरों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के भिन्न	*94*ढ-च
*194*ढ तीसरा परंतुक	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित सहकारी समितियों को नकद में कतिपय राशि का संदाय	*94*ढ-ग
*194*ढ प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	सहकारी समितियां होने के नाते गैर-फाइलर्स को कतिपय रकम का संदाय	*94*ढ-चन
*194*ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स ऑपरेटर द्वारा कतिपय रकम का संदाय	194ण
*194*थ	माल की खरीद के लिए कतिपय रकम का संदाय	194थ
*194*द	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ	194द
धारा 194द की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ जब ऐसे फायदा व अभिलाभ वस्तु या कुछ भाग नकद में प्रदान किए जाते हैं और कर दायित्व के लिए पर्याप्त नहीं है तथा अपेक्षित कर कटौती का संदाय ऐसे फायदे के निर्मोचन से पूर्व हो चुका है	*94*द-च
*194*ध	विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का संदाय	*194*ध
धारा194ध की उपधारा(1) का प्रथम परंतुक	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण हेतु संदाय जहां संदाय वस्तु के रूप में या अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के विनिमय में हो तथा अपेक्षित कर कटौती का ऐसा संदाय निर्मोचन होने से पूर्व हो चुका है	*94*ध-त";]